

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-03/2025-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/ 2026

डा० शोभना झा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, (चर्म एवं रति रोग), सदर अस्पताल, अरवल द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015, बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-1558(25) दिनांक-25.07.2025 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-01.12.2022 से 24.06.2024 तक	- कुल-572 (पाँच सौ बहत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-25.06.2024 से 21.07.2024 तक	- कुल-27 (सताईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/एल०-03/2025-

775(2) पटना, दिनांक 10/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/सदर अस्पताल, सदर अस्पताल, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल/डा० शोभना झा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, (चर्म एवं रति रोग), सदर अस्पताल, अरवल /प्रशाखा पदाधिकारी, 05, 07, 10 एवं 18A पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Waman K Hubb
सरकार के उप सचिव।
I